


26



श्री सन्त कुमार दुबे तनय श्री वंशगापेल दुबे उम्र 65 वर्ष पेशा खेतो, निवासी  
ग्राम कोण्टा तहसील रायपुर कच्चीलियान, जिला रीवा म०प्र०

दिनांक 29-9-16 को  
श्री ~~सन्त कुमार दुबे~~ के लो डिपॉजिट  
का 20 रुपये ~~उपेक्षा~~ विरुद्ध

आवेदक

29-9-16  
10/29-9-16

- 1- श्री नन्द कुमार दुबे उम्र 66 वर्ष पेशा खेतो व पंन्शनर
  - 2- श्री सुशील कुमार दुबे तनय वंशगापेल दुबे उम्र 32 वर्ष, पेशा खेतो,
  - 3- श्री चन्द्र कुमार दुबे तनय श्री वंशगापेल दुबे उम्र 69 वर्ष, पेशा खेतो,
- तीनों निवासीगण ग्राम कोण्टा, तहसील रायपुर कच्चीलियान, जिला रीवा म०प्र०

अनावेदकाण

निगरानी विरुद्ध निर्णय व आवेश अतिविभागीय  
अधिकारी महोदय, तहसील रायपुर कच्चीलियान  
जिला रीवा म०प्र० द्वारा प्रकरण क्र० 2अ6व/15-16  
मोदिनांक 10-8-16 को पारित किया गया है।

अन्तर्गत धारा 50 म०प्र० मूराजस्व संहिता सन 1959

29.9.16  
K.K. Received

मान्यवर,

निगरानी के आधार निम्नलिखित है:-

न्यायालय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक-निगरानी-3364-दो/16

जिला-रीवा

श्री सन्त कुमार दुबे विरुद्ध श्री नन्द कुमार आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों के हस्ताक्षर
05-03-2019	<p>प्रकरण प्रस्तुत। आवेदक की ओर से श्री धर्मेन्द्र चतुर्वेदी एवं श्री एस.के. चतुर्वेदी अभिभाषक उपस्थित। आवेदक द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी तहसील रायपुर कर्चुलियान, जिला-रीवा के प्रकरण क्रमांक 2/अ-6-अ/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 10-08-2016 के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता 1959 में दिनांक 25-9-2018 को हुए नवीन संशोधन के फलस्वरूप संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला-रीवा के न्यायालय को अंतरित किया जाता है।</p> <p>2/ पक्षकार दिनांक 03-05-2019 को कलेक्टर के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हों।</p>	<p>(आर.के. जैन) सदस्य 5/3/19</p>